



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर हत्या के प्रयास में 02 अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹20,000 के अर्थ दंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना राठ में पंजीकृत मु0अ0सं0-465/2014 धारा-307,504,506 भा0द0सं0 में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायालय प्रथम कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1.उदय पुत्र सुरेश 2.अरविन्द पुत्र हीरालाल निवासीगण सिकन्दरपुरा कस्बा व थाना राठ जनपद हमीरपुर, को दोषसिद्ध पाये जाने पर 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व प्रत्येक को 10,000-10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एडीजीसी महेश चन्द्र
द्विवेदी



विवेचक-
उ0नि0
गौतम कुमार



पैरोकार-
थाना राठ
का0 प्रदीप भार्गव